2268873/2021/VBD

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-I और श्रेणी-II (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता, आदि**.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता — वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है , या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-I	34* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	स्तर – 5 (29200 - 92300 रु.)	अचयन	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच । (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालिस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) टिप्पण 1.- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के

					लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है। टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हता : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विज्ञान में स्नातक डिग्री। वांछनीय : (i) सरकार से मान्यताप्राप्त चिकित्सा या जैव प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव। (ii) कम्प्यूटर का ज्ञान। टिप्पण 1:- अर्हता (अर्हताएं), अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है (हैं)।	नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i)50% प्रोन्नति द्वारा। (ii)50% सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
ऐसे प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-II से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 4 (25500 - 81100 रु.) में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो।	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** (i) संयुक्त निदेशक या उप-निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम महानिदेशालय - अध्यक्ष (ii) उप-निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित महानिदेशालय की कोई अन्य संस्था – सदस्य (iii) प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम महानिदेशालय – सदस्य	आवश्यक नहीं।

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-II	37* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित (अननुसचिवीय)	स्तर – 4 (25500 - 81100 रु.)	अचयन	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, साधारण अभ्यर्थियों की दशा में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में पैंतालिस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

					टिप्पण 1:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है। टिप्पण 2:- रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हता : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विज्ञान में स्नातक डिग्री। **वांछनीय :** (i) सरकार से मान्यताप्राप्त चिकित्सा या जैव प्रयोगशाला से एक वर्ष का अनुभव। (ii) कंप्यूटर का ज्ञान। **टिप्पण 1:-** अर्हता (अर्हताएं), अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है (हैं)।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	(i)50% प्रोन्नति द्वारा। (ii)50% सीधी भर्ती द्वारा।

टिप्पण 2:- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

(11)	(12)	(13)
ऐसे कीट संग्राहक से प्रोन्नति द्वारा जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर – 2 (19900 - 63200 रु.) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** (i) संयुक्त निदेशक या उप-निदेशक, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम महानिदेशालय - अध्यक्ष (ii) उप-निदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या दिल्ली/ नई दिल्ली में स्थित महानिदेशालय की कोई अन्य संस्था – सदस्य (iii) प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम महानिदेशालय – सदस्य	आवश्यक नहीं।

[फा. सं. 1-77/2019/प्रशासन.-I]

शोरन सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 12th July, 2021

G.S.R. 70.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Malaria Eradication Programme (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1980 in so far as they relate to the post of Laboratory Assistant/Junior Technician except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Laboratory Assistant Grade-I and Grade-II in the National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP), under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement** .— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Vector Borne Disease Control Programme, Laboratory Assistant Grade-I and Grade-II (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix** .— The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age-limit, qualification etc .**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification .**—No person,-

(i) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(ii) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

	Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Laboratory Assistant Grade-I.	34* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non- gazetted (Non-ministerial).	Level- 5 (Rs.29200-92300).	Non-selection	Between 18 years and 27 years. (Relaxable for Government servants up to forty years in case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) **Note 1**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division

					of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2**: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age- limit shall be the last date up to which Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed, if any, for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of Recruitment**: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualification:- Bachelor degree in Science from a recognised University or Institute. **Desirable :-** (i) One year experience from a Government recognised Medical or Biological Laboratory. (ii) Knowledge of computer. **Note 1:-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:-** Qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	No	Two years for direct recruits.	(i) 50% by promotion (ii) 50% by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By promotion from Laboratory Assistant Gr-II in the pay level 4 (Rs.25500-81100) of pay matrix with five years regular service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of : i) Joint Director or Deputy Director, Directorate of National Vector Borne Disease Control Programme- Chairman; ii) Deputy Director, Directorate General of Health Services or any other Institute of the Directorate, located in Delhi/New Delhi - Member; iii) Administrative Officer, Directorate of National Vector Borne Disease Control Programme - Member.	Not necessary.

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Laboratory Assistant Grade-II.	37* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-gazetted (Non-ministerial).	Level- 5 (Rs.25500-81100).	Non-selection	Between 18 years and 27 years. (Relaxable for Government servants up to forty years in case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands or

					Lakshadweep). **Note 2:** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age- limit shall be the last date up to which Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualification:- Bachelor degree in Science from a recognised University or Institute. **Desirable :-** (i) One year experience from a Government recognised Medical or Biological Laboratory. (ii)Knowledge of computer. **Note 1:-** Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:-** Qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits.	(i) 50% by promotion (ii) 50% by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
By promotion from Insect Collectors in the pay level 2 (Rs.19900-63200) of pay matrix with eight years regular service.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) consisting of :** i) Joint Director or Deputy Director, Directorate of National Vector Borne Disease Control Programme - Chairman; ii) Deputy Director, Directorate General of Health Services or any other Institute of the Directorate, located in Delhi/New Delhi - Member; iii) Administrative Officer, Directorate of National Vector Borne Disease Control Programme -Member.	Not necessary.

[F. No. 1-77/2019/Admn.-I]

SHORAN SINGH, Under Secy.

2333097/2021/PH/CDL-DGHS

. 77/78

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02092021-229356
CG-DL-W-02092021-229356

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 29] नई दिल्ली, अगस्त 22 - अगस्त 28, 2021, शनिवार/ श्रावण 31- भाद्र 6, 1943
No. 29] NEW DELHI, AUGUST 22 - AUGUST 28, 2021, SATURDAY/ SRAVANA 31 - BHADRA 6, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(राष्ट्रपति भवन)

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 99.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मंत्रिमंडल सचिवालय समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2000 को, जहाँ तक उनका संबंध स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी- II), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, मंत्रिमंडल सचिवालय में स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी- II) और स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

2333097/2021/PH/CDL-DGHS

Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment. **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-12018/01/2020-Ad.I.]

SARWESH KUMAR ARYA, Director

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 100.—भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप-खंड-(i) में दिनांक 12 जुलाई, 2021 के सा.का.नि. 70 द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की प्रकाशित अधिसूचना में, पृष्ठ संख्या 614 पर प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-II के पद संबंधी वेतन मैट्रिक्स में स्तर से संबंधित कॉलम (4), को निम्नवत् पढ़ा जाए:-

स्तर 5 (25500-81100)	के स्थान पर
स्तर 4 (25500-81100)	के रूप में पढ़ा जाए

[फा.सं. 1-77/2019/प्रशा.-I]

शोरन सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 19th August, 2021

G.S.R. 100.—In the Notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, dated 12th July,2021 published in the Gazette of India, Part-II, Section 3,Sub-Section (i) vide G.S.R.70,on page number 614 under column (4) relating to Level in pay matrix for the post of Laboratory Assistant Grade II, may be read as under:

In place of	Level 5 (Rs.25500-81100)
To be read as	Level 4 (Rs.25500-81100)

[F.No.1-77/2019/Admn.-I]

SHORAN SINGH, Under Secy.